/

नेमाई चंद्र डे (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से प्रशांत चंद्र (मृत)। (2015 की सिविल अपील संख्या 14699-14701)

/

अप्रैल 19,2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। एक्सएलआई,आर. 31-प्रथम अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य-साक्ष्य की पुनः प्रशंसा-दलीलों पर विचार करना और निष्कर्षों पर पहुंचना-वादी (प्रथम प्रतिवादी के चाचा की पत्नी) द्वारा दो दस्तावेजों की घोषणा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था, यानी उपहार विलेख को अमान्य घोषित करना-निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी एक क्षमाशील महिला थी और दस्तावेज़ का चरित्र वादी के ध्यान में नहीं लाया गया था-उपहार विलेख को अमान्य घोषित कर दिया गया था-निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया-पहली अपीलीय अदालत ने पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य की पुनः सराहना किए बिना अपील को खारिज कर दिया-दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ा कि निचली अदालत का फैसला विस्तृत और विस्तृत था-साथ ही, दस्तावेज़ की दलीलें - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है-यह प्रथम अपीलीय न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह विधि की सीमा के भीतर अपीलों पर विचार करे और उन सिद्धांतों को ध्यान में रखे जिन्हें यू/या के तहत गिना गया है। एक्सएलआई,आर. 31 और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय-इसका अर्थ है कि पहला अपीलीय न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा, तर्कों पर विचार करेगा और विधि को लागू करेगा और निष्कर्षों पर पहुंचेगा-केवल तभी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को केवल उन मामलों तक सीमित करना जहां विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, न्यायसंगत होगा-अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण केवल दुर्लभ अवसरों पर हो सकता है-इसलिए, न्याय के हित में, मामले को पहले अपीलीय न्यायालय में भेज दिया जाता है।

/

/

/

/

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार समवर्ती निष्कर्षों का गठन करता है जैसे कि यह एक मामला ए है।

/

1076

1077

नेमाई चंद्र डे (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से प्रशांत चंद्र (मृत)।

जहाँ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को अपनी मंजूरी दी है।कोई भी उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में अभिनिर्धारित करते हुए समझ सकता था जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि द्वारा प्रदान किए गए तरीके से और निर्णयों की लंबी कतार द्वारा स्थापित अपील पर विचार किया था।यह स्पष्ट है कि यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण, इस मामले के तथ्यों में, प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमांड की आवश्यकता होती है।यही कारण है कि मुकदमा लड़ा गया था।दलों ने विस्तृत सबूत पेश किए।बचाव में जो लिया गया वह दो पंजीकृत उपहार विलेखों की वैधता थी, जिन्हें पहले प्रतिवादी के अनुसार कानूनी रूप से निष्पादित किया गया था।इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा एक तर्क उठाया गया है कि वादी ने बिक्री विलेखों के माध्यम से कई दस्तावेजों को निष्पादित किया है।अपीलार्थियों के अनुसार, वादी वास्तव में साक्षर थी, हालांकि वह एक क्षमाशील महिला थी।पहले प्रतिवादी के पास एक मामला है कि यह एक मुकदमा था जो वादी के भतीजे के प्रभाव के बल पर रखा गया था-बहन जिसके घर में वादी कुछ समय से रह रहा था।लेखक से गवाह के रूप में पूछताछ की गई है।साक्ष्य देने वाले गवाह से पूछताछ की गई है। इस मामले अंतर्गत , इसअंतर्गत कोई प्रश्न नहीं है कि वादी ने सबूत दिया है कि उसने इस धारणा के आधार पर उपहार विलेखों को निष्पादित किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया गया था।सबूत के अन्य आइटम थे जो न्यायालय के समक्ष भी थे।इस न्यायालय का विचार है कि न्याय के हित में न्यायालय ों द्वारा पारित आदेश की प्रकृति में प्रथम अपीलीय न्यायालय में रिमांड की आवश्यकता होती है।तदनुसार, आक्षेपित निर्णय

दरकिनार कर दिए जाएँगे।अपीलों की अनुज्ञात जाती है और मामले को पहले अपीलीय न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।**[**पारस **14** और **15] [1082-**ई**-**एच**; 1083-**ए**-**डी

/

/

/

/

/

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम **(2001) 3** एस**.** सी**.** सी**. 17:**

[2001] 1 एस**.** सी**.** आर**. 948-**पर निर्भर।

मधुर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य **(2001)**

/

4 एससीसी 756:[2001] 3 एस. सी. आर. 138; एम. खारबुजा कुएर बनाम।

जंगबहादुर राय और अन्य **1963** ए**.** आई**.** आर**. 1203:[1963]**

1 एस**.** सी**.** आर**. 456-**संदर्भित।

/

1078 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

/

संदर्भित निर्णय

[2001] 3 एससीआर **138**

संदर्भित

पैरा **6**

[2001] 1 एससीआर **948**

पर विश्वास किया

पैरा **6**

[1963] 1 एससीआर **456**

संदर्भित

पैरा **14**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2015 की सिविल अपील Nos.14699-14701।

2013 के एस. ए. टी. No.40 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश और 2013 के सी. ए. एन. No.12727 के साथ 2013 के एस. ए. टी. No.40 में दिनांकित 25.03.2014 के आदेश से।

/

जयदीप मजूमदार, रवीन्द्र नारायण दत्ता, रोहित दत्ता, प्रियता चक्रवर्ती, सुश्री शालिनी कौल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

शफी माथेर, सिद्धार्थ चौधरी, अमित पवन, हसन जुबैर वारिस, सुश्री शिवांगी, आकर्ष, अभिषेक अमृतांशु, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्या **.**

(1) यह एक और मामला है जहां संस्थापक पिताओं की दृष्टि के विपरीत, पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का पालन न करने से पक्षकार उच्चतम न्यायालय में चले गए हैं।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI नियम 31 में निहित सिद्धांत, जो इस न्यायालय के निर्णयों का विषय रहा है, उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें एक दीवानी मुकदमे में अपील पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।उच्च न्यायालय में एक और अपील केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है।इसलिए, विधि इस बात पर विचार करता है कि निचली न्यायालय के फैसले से व्यथित एक पक्ष को पहली अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनी शिकायत की जांच करने का पूरा अवसर मिलता है, जिससे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और मामले पर विचार करने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि यह आदेश XLI नियम 11 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है।

/

/

/

(2) इस मामले में वादी पहले प्रतिवादी के चाचा की पत्नी थी।मूल वादी और प्रथम प्रतिवादी दोनों का निधन हो गया है।वर्तमान में एल. आई. एस. को उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।

/

1079

नेमाई चंद्र डे (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से प्रशांत चंद्र (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

यह मुकदमा वादी द्वारा दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दो दस्तावेजों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी जिन्हें 29.07.1990 और 30.07.1990 दिनांकित उपहार विलेख के रूप में शैलीबद्ध किया गया है।मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था।सूट में मांगी गई प्रार्थना इस प्रकार हैः

“(क) अनुसूची ख में वर्णित संपत्ति में वादी के स्वामित्व की घोषणा के लिए एक डिक्री होगी और यह कि कथित दो उपहार विलेख अमान्य हैं और वादी द्वारा निष्पादित नहीं किए गए हैं और प्रतिवादी को कोई भी दावा करने या कथित उपहार विलेख के आधार पर शांति भंग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री होगी।ख) यदि वादी को विद्वत न्यायालय के अनुसार अनुसूची बी में संपत्ति में अधिकार घोषित किया जाता है या उसे वाद के लंबित रहने के दौरान बेदखल कर दिया जाता है, तो उक्त संपत्ति में अदालत की मदद से वास के कब्जे की बहाली के लिए एक डिक्री।

/

/

(c) न्यायालय के सभी खर्च

घ) वादी को विधि या समता में कोई अन्य राहत डिक्री हो सकती है।” (3) साक्ष्य का नेतृत्व पक्षों द्वारा किया गया था।स्वयं वादी से पीडब्लू 1 के रूप में पूछताछ की गई थी।उसने निस्संदेह अपदस्थ कर दिया है कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करने वाले पहले प्रतिवादी ने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता के लिए प्रभावित किया और यही वह है जिसने उसे उन दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए प्रेरित किया जो उसे बाद में पता चला कि वास्तव में प्रतिवादी के पक्ष में उपहार विलेख थे।

/

/

(4) अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती का मामला यह था कि पहला प्रतिवादी, वास्तव में, पहले प्रतिवादी के पैतृक चाचा की मृत्यु के बाद वादी की देखभाल कर रहा था और यह प्यार और स्नेह से है और उपहार विलेखों को वास्तव में निष्पादित किया गया था।प्रतिवादी ने अन्य सबूतों के साथ-साथ लेखक से पूछताछ करने और गवाह को प्रमाणित करने का इरादा किया है।विचारण न्यायालय साक्ष्य के मूल्यांकन पर निष्कर्ष पर पहुँचा, जिसमें कोई संदेह नहीं है, अपीलार्थियों के अनुसार, मामले के तथ्यों में विचार किए गए या वारंट किए गए तरीके से नहीं किया गया था कि उपहार विलेख अमान्य थे और रद्द किए जाने योग्य थे।उक्त तर्क पर, निचली न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया।निचली न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ी कि वादी एक क्षमाशील महिला थी और दस्तावेज़ का चरित्र वादी के ध्यान में नहीं लाया गया था।

/

/

(5) पहले प्रतिवादी ने अपील की।पहले अपीलीय न्यायालय में, पक्षों की समस्या शुरू होती है। यह इस कारण से है कि विधि के आदेश के विपरीत, जिसे इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर दोहराया गया है, अपीलीय न्यायालय निम्नानुसार पाता हैः

/

“मैंने एल. डी. द्वारा संदर्भित दोनों पक्षों के निष्कर्षों को देखा है। दोनों पक्षों के वकील।श्री ए. के. मिश्रा, एल. ऐप के वकील और प्रतिवादी के श्री S.Rahaman, Ld.Lawyer ने उनके द्वारा निर्दिष्ट निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और मामले पर अपना चिंतित विचार देने के बाद मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि ऐप का तर्क मान्य नहीं है और प्रतिवादी का तर्क बहुत स्वीकार्य है और एल. डी. द्वारा उद्धृत निर्णय । प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता पोषणीय है और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया जाता है और इस प्रकार नीचे दिए गए न्यायालय के निर्णय और डिक्री में किसी भी तरह से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

/

नतीजतन, इस अपील को खारिज किए जाने की संभावना है और नीचे दी गई न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है।इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि अपील को बिना किसी लागत के खारिज कर दिया जाए।

निर्णय की एक एक्स-रॉक्स प्रति एल. डी. को भेजी जाए। निचली न्यायालय जल्द से जल्द। "

/

(6) हम केवल यह देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने एक अवसर पर क्या कहा है

मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य (2001) 4 में घोषित

एससीसी 756।इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम (2001) 3 एस. सी. सी. 1791 में दिए गए एक पूर्व निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह निम्नानुसार कहा गया हैः

/

“6. संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी [(2001) 3 एससीसी

179 :जे. टी. (2001) 2 एस. सी. 407] इस न्यायालय ने राय दीः(एस. सी. सी. पीपी. 188-89, पैरा 15)

/

“अपीलीय न्यायालय के पास निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है।पहली अपील पक्षों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक विधि द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तब तक पूरा मामला तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर फिर से सुनवाई के लिए खुला है।इसलिए, अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपने विवेकपूर्ण प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और दलीलों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर कारणों द्वारा समर्थित निष्कर्षों को दर्ज करना चाहिए, और पक्षकारों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।... तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय अपीलीय न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के साथ निकटता से आना चाहिए और फिर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारण निर्धारित करने चाहिए।यह न्यायालय को आगे की सुनवाई से संतुष्ट करेगा ए

/

/

1081

नेमाई चंद्र डे (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से प्रशांत चंद्र (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अपील की कि पहली अपीलीय न्यायालय ने उससे अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन किया था। "

(7) हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, संविधान की योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि तथ्य के निष्कर्ष आम तौर पर अपील न्यायालय के हाथों अंतिमता प्राप्त करने के लिए होते हैं और यह केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होता है कि उच्च न्यायालय पहले अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है।इसलिए, यह दोहराने के अलावा कि यह पक्ष का एक मूल्यवान अधिकार है जो दांव पर है, यह न्याय प्रशासन के हित के लिए अनुकूल नहीं होगा कि तथ्य के निष्कर्षों को उचित देखभाल और साक्ष्य और पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले विधि पर ध्यान दिए बिना प्रस्तुत किया जाए।हम इस कारण से कहते हैं कि इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कर्तव्य के किसी भी उल्लंघन के न्याय के प्रशासन पर दूरगामी परिणाम होते हैं।

/

/

(8) जिस मामले का निर्णय विधि के अंतर्गत विचार किए गए तरीके से नहीं किया जाता है, वह अंततः वादियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का आह्वान करने में समाप्त हो सकता है।अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए।यह एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है।

/

(9) संस्थापक पिताओं ने विचार किया कि प्रत्येक स्तर पर न्यायालय विधि के अंतर्गत विचार के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।इसका मतलब है कि पहला अपीलीय न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा, तर्कों पर विचार करेगा और विधि को लागू करेगा और निष्कर्षों पर पहुंचेगा।केवल तभी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल उन मामलों तक सीमित करना उचित होगा जहां विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है।अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय का दृष्टिकोण केवल दुर्लभ अवसरों पर ही हो सकता है।हम यह दोहराने के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह विधि की सीमा के भीतर अपीलों पर विचार करे और उन सिद्धांतों को ध्यान में रखे जो आदेश XLI नियम 31 और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत गिने गए हैं।

/

/

(10) असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी दूसरी अपील में मामले को उच्च न्यायालय में ले गए।

/

एक अवसर पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की अनुपस्थिति और आदेश एक्सएलआई नियम 11 के अंतर्गत अपील को खारिज कर दिया।यह आक्षेपित है।इसके बाद मामले को उठाया गया और फिर अगले आक्षेपित निर्णय का पालन किया गया।उक्त आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने

/

यह पता लगाने के लिए आगे बढ़े कि विचारण न्यायालय का निर्णय विस्तृत और विस्तृत था और उसके बाद, न्यायालय का विचार था कि वादी की दलीलें अपरिहार्य थीं और नीचे दिया गया न्यायालय वापस किए गए निष्कर्षों पर पहुंचने में सही था।अपीलार्थी आक्षेपित निर्णयों में कोई विकृति नहीं दिखा सके।विधि के पाँच महत्वपूर्ण प्रश्नों ने न्यायालय में अपील नहीं की। अपीलार्थियों ने यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं दिखाई कि निचली न्यायालय द्वारा वापस किए गए और अपील में पुष्टि किए गए तथ्य के निष्कर्ष विकृत थे।और जहाँ तक सबूत के बोझ का संबंध था, निचली न्यायालय ने निष्कर्षों पर पहुँचने में अनियमित रूप से कार्य नहीं किया था।इसलिए न्यायालय ने आदेश को वापस लेना उचित नहीं समझा।

/

/

(11) जब इस न्यायालय ने शुरू में मामले की सुनवाई की, तो 25.08.2014 पर, उसने नोटिस जारी किया और निष्पादन की आगे की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी।इसके बाद, यह प्रतीत होता है कि 16.12.2015 दिनांकित आदेश द्वारा, पहले दिया गया अंतरिम आदेश खाली कर दिया गया था।लेकिन उसी आदेश से न्यायालय ने अनुमति दे दी और उसके बाद मामला हमारे सामने आया।

/

(12) हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को भी सुना है।

(13) अपीलार्थियों के विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि अपीलार्थियों के मामले पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिस बिंदु पर हम पहले ही ध्यान दे चुके हैं।निस्संदेह, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

/

(14) जैसा कि हमने देखा है, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार समवर्ती निष्कर्षों का गठन करता है जैसे कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और निचली अदालत के निष्कर्षों को अपनी मंजूरी दी है।कोई भी उच्च न्यायालय को ऐसे मामले में अभिनिर्धारित करते हुए समझ सकता था जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि द्वारा प्रदान किए गए तरीके से और निर्णयों की लंबी कतार द्वारा स्थापित अपील पर विचार किया था।हम स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण, इस मामले के तथ्यों में, प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमांड की आवश्यकता होती है।यही कारण है कि मुकदमा लड़ा गया था।दलों ने विस्तृत सबूत पेश किए।बचाव में जो लिया गया वह दो पंजीकृत उपहार विलेखों की वैधता थी, जिन्हें पहले प्रतिवादी के अनुसार कानूनी रूप से निष्पादित किया गया था।इस संबंध में अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी ने ए द्वारा कई दस्तावेजों को निष्पादित किया है।

/

/

/

1083

नेमाई चंद्र डे (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से।एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से प्रशांत चंद्र (मृत)। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बिक्री विलेखों का तरीका।अपीलार्थियों के अनुसार, वादी वास्तव में साक्षर थी, हालांकि वह एक क्षमाशील महिला थी।पहले प्रतिवादी के पास एक मामला है कि यह एक मुकदमा था जो वादी-बहन के भतीजे के प्रभाव के बल पर रखा गया था, जिसके घर में वादी कुछ समय से रह रहा था।लेखक से गवाह के रूप में पूछताछ की गई है।साक्ष्य देने वाले गवाह से पूछताछ की गई है। हम इस संबंध में ध्यान दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक क्षमाशील महिला के संबंध में, इस न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन किया है और एमएसटी में सिद्धांतों को दोहराया है। खारबुजा कुर बनाम जंगबहादुर राय और अन्य ए. आई. आर. 1963 1203।इस मामले अंतर्गत , इसअंतर्गत कोई प्रश्न नहीं है कि वादी ने सबूत दिया है कि उसने इस धारणा के आधार पर उपहार विलेखों को निष्पादित किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी

को निष्पादित किया गया था।सबूत के अन्य आइटम थे जो न्यायालय के समक्ष भी थे।हम जिस रिमांड के आदेश को पारित कर रहे हैं, उसके मद्देनजर हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं।हमारा विचार है कि न्याय के हित में न्यायालय ों द्वारा पारित आदेश की प्रकृति में प्रथम अपीलीय न्यायालय में रिमांड की आवश्यकता होती है।

/

/

/

(15) तदनुसार, आक्षेपित निर्णय दरकिनार कर दिए जाएँगे।अपीलों की अनुज्ञात है।हम मामले को पहले अपीलीय न्यायालय को वापस भेजते हैं जो टी. ए. सं. 18/2010 पर विचार करेगा। अपीलीय न्यायालय पक्षकारों को नोटिस देकर और उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा जो अच्छी तरह से तय किए गए हैं और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।जैसा कि वर्ष 1999 के वाद से अपील निकलती है, हम निर्देश देते हैं कि पहला अपीलीय न्यायालय अपील का जल्द से जल्द और अधिमानतः उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निपटारा करेगा जिस दिन उसके समक्ष निर्णय की एक प्रति रखी जाती है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने दोनों पक्षों के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है।

/

दल अपना-अपना खर्च उठाएंगे।

/

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

/

/